HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 23- HLA of 2024

THE HARYANA LEASE OF AGRICULTURAL LAND BILL, 2024

A

BILL

to provide a mechanism for recognition of leasing of agricultural land and to permit and facilitate lease of agricultural land, protecting the ownership rights of land-owners and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Lease of Agricultural Land Act, 2024.

Short title, commencement and application.

- (2) It shall come in force from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to all agricultural land under cultivation in the State of Haryana:

Provided that the provisions of the Act shall not apply to the following land, namely:-

- (i) land owned by the Central Government, State Government, a Municipal Corporation under the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) or a Municipality body under the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and a Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad under the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994);
- (ii) land owned, managed or controlled by any statutory body, university, company, society or trust under the management and control of the Central Government or the State Government;
- (iii) land recorded in the land revenue records as shamilat deh, shamilat tikkas, shamilat tarafs, pattis, pannas and tholas or any other land falling within the ambit of shamilat deh under the relevant statute;
- (iv) land recorded in the land revenue records as 'Jumla Malkan Wa Digar Haqdaran Arazi Hassab Rasad Raqba' or similar nomenclature which is reserved for common purposes under the Haryana Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (East Punjab Act 50 of 1948).

Definitions.

- 2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "agriculture" includes activities that are performed alongwith or related to agriculture such as construction of structure for rearing of livestock, storage of agricultural produce equipments, fertilizer, seed and agricultural produce including food and non food crops, fodder or grass, fruits and vegetables, flowers, any other horticultural crops and plantation, animal husbandry and dairy, poultry farming, stock breeding, fishery, agro forestry, agro-processing, which the lessor and lessee decide to do in the lease agreement executed and such other ancillary activities, as may be notified by the Government;
 - (b) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
 - (c) "improvement" means improvement of land through creation of capital assets and shall also include the works to be done by mutual consent of lessor and lessee, as mentioned in the lease agreement;
 - (d) "land" means land which is used for agriculture but does not include the sites of buildings and other structures on such land except where these are used for agricultural;
 - (e) "lease agreement" means an agreement in writing between the lessor and the lessee by which the lessor conveys use and occupation of his land to the lessee for agriculture for a specified period for a consideration in the form lease money under this Act;
 - (f) "lease money" means money or share of crop given to lessor, as per the lease agreement under this Act;
 - (g) "lessee" means a person doing agriculture and allied activities by giving money in accordance with the lease agreement executed under this Act;
 - (h) "lessor" means owner of the land and includes his authorised representative;
 - (i) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act.
- (2) The words and expressions used but not defined in this Act shall have the same meaning as assigned to them in the Haryana Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887).

Lease of agricultural land.

3. (1) On and from the commencement of this Act, any person intending to lease agricultural land under the provisions of the Act shall enter into lease agreement consistent with the terms of this Act.

- (2) The land owner or his authorised representative intending to lease out agricultural land shall enter into a written lease agreement for such period and on such terms and conditions, as may be agreed upon by mutual consent.
- (3) The lease agreement shall contain the following details, terms and conditions, namely:-
 - (a) the name of the lessor and the lessee with their complete address/correspondence details;
 - (b) the reference details of the agricultural land including field number proposed to be leased as per the revenue record and its exact location;
 - (c) the period of the lease agreement including the dates of commencement and expiry of the lease in consonance with the agricultural crop cycle;
 - (d) the lease amount on per annum basis for the duration of the lease agreement and the dates on which the lease amount shall be payable by the lessee to the lessor;
 - (e) in case of multiple land-owners, the land-owner or land-owners to whom the lease amount shall be paid;
 - (f) the terms and conditions for renewal or extension of lease agreement, if any;
 - (g) the conditions that shall lead to material breach of the lease agreement and consequences thereof including conditions that have to be fulfilled for premature termination of the lease agreement before the normal expiry of the lease period;
 - (h) the obligations of the lessor towards investment for land improvement for agricultural productivity and sustainability including irrigation and soil quality enhancement;
 - (i) any defect in the nature of land or its usage for agricultural purposes, any pending litigation or default on the part of the lessor, of which he is aware and which affects or is likely to affect the enjoyment of rights under this Act by the lessee over the leased land;
 - any other mutually agreed clause consistent with the provisions of this Act and prudent agricultural practices;
 - (k) the lessee shall have the right to surrender the leased land as mutually agreed with such notice to the lessor, as specified in the terms and conditions of the lease agreement.

- (4) The lease agreement shall be registered in accordance with the provisions of the Registration Act, 1908 (Central Act No.16 of 1908) and shall come into force on such date, as may be agreed upon on or after the date, on which the lease agreement is registered.
- (5) The lessor and lessee shall, on coming into force of the lease agreement, be entitled to the protections, rights and obligations under this Act.

Possession of leased land.

4. (1) The lessor shall be obliged to deliver possession of the leased land free from encumbrances except in terms of the provisions of this sub-section for purposes of cultivation, immediately on commencement of the lease agreement entered into under sub-section (4) of section 3:

Provided that where there is encumbrance in respect of the leased land prior to the commencement of the lease agreement, and the lessor accepts to discharge the liability or interest created thereon or repay any loan taken or interest thereon, then the delivery of possession to the lessee shall be made with such encumbrance standing against the lessor.

- (2) The lease agreement and the period of lease thereof shall be entered in remarks column of the Record of Rights but such entry shall not create any permanent tenancy or occupancy tenancy rights or otherwise under any State law for the time being in force.
- (3) The possession of the leased land shall, immediately and without any further action required on part of the lessor, revert to the land-owner on the expiry or termination of the lease.
- (4) The lessor shall be entitled to receive possession of the leased land free from encumbrances immediately on expiry of the lease agreement or its premature termination and without requiring any further action on the part of the lessor:

Provided that in case of premature termination of lease agreement, the lessee shall be entitled to harvest the standing crop sown on the leased land in accordance with the agricultural crop cycle and shall be liable to pay the lease amount for such period of occupation beyond the date of termination of the lease agreement till the harvesting of the crop.

- (5) In the event of death of the lessee, the legal heir or successor of the lessee shall be deemed to be the lessee and such legal heir or successor shall have the option to prematurely terminate the lease agreement or have the lease agreement in force assigned to such legal heir or successor for the remaining period of the lease.
- (6) The lessee shall continue to be in possession of the leased land till the expiry of the period of lease agreement in case of sale, mortgage, redemption of mortgage, succession, gift, or alienation or transfer in any manner including partition amongst the co-owners of the leased land and further,-
 - the lessee shall be deemed to be the lessee of the right-holder in whose favour the ownership or interest in the land is transferred;
 and

- (ii) the lease agreement shall stand assigned in favour of such right holder, mutatis mutandis.
- (7) Lease of entire khasra number in cultivating possession in the revenue records either by all the co-sharers together or single owner, as the case may be, shall be permissible.
- 5. (1) The lessee shall be entitled to cultivate the leased land during the period of the lease agreement without interruption or interference from the lessor except in accordance with the terms and conditions of the lease agreement and the provisions of this Act.

Rights and obligations of lessee.

- (2) The lessee shall be entitled to obtain a crop loan as per the provisions of banking laws, of tenure repayable within the agricultural crop cycle during the period of lease.
- (3) No encumbrance, other than a crop loan under sub-section (2), shall be created by the lessee except with the prior written consent of the lessor.
- (4) The lessee shall be responsible for the repayment of any crop loan taken or interest or any other liability created over the leased land, during the period of the lease agreement except any liability or loan taken for land improvement under section 7 of this Act.
- (5) The lessee shall not, during the period of lease, sublet, in any manner or in whole or in part, transfer possession of the leased land to any person except the lessor.

Provided that the engagement of labour for cultivation of land, shall not be construed as subletting or transferring of possession of the leased land.

- (6) The lessee shall not use the land for a purpose other than agriculture or cultivation of crops and for matters connected with or related thereto, as per terms of lease agreement.
- 6. (1) The lessor shall not interfere with the use and occupation of the leased land for purposes of agriculture except as may be provided for in this Act or in the lease agreement, during the period of lease in terms of the lease agreement.

Rights and obligations of lessor.

- (2) Nothing in the lease agreement shall be construed as affecting the ownership rights of the lessor or creating any right in favour of the lessee for permanent tenancy or occupancy tenancy during or after the expiry of the lease, except in so far as the enjoyment of such cultivation rights as may be contained in the lease agreement for the period of the lease.
- (3) The lessor shall provide a written and duly signed receipt for payment of lease money made by the lessee, on its receipt by the lessor.
- 7. (1) The lessee may, with the prior consent of the lessor during the period of lease, make improvements to the land to improve agricultural productivity and sustainability including for purposes of irrigation and soil quality enhancement.

Rights and obligations in relation to improvements over leased land.

- (2) For the purposes of consent of the lessor under sub-section (1), the lessee shall serve upon the lessor, a notice of not less than thirty days detailing and declaring his intent to make improvements to the land and providing a reasonable estimate of the cost of land improvement.
- (3) The lessor shall have the option to make the improvements to the land at his cost or provide the funds for such improvements to the lessee or permit the lessee to make the improvements from the funds raised by the lessee and such option shall be indicated in the response provided by the lessor under sub-section (2):

Provided that where the lessee makes the land improvement from funds raised by him, the lessee shall be entitled to deduct the cost incurred for such improvement work carried out by the lessee from the lease money payable to the lessor.

(4) Subject to the options exercisable under sub-section (3), the lessor shall, within the period of thirty days, provide or deny, in writing, his consent to make land improvement, as detailed in the notice under sub-section (2).

Right of lessee to raise crop loan for cultivation over leased land.

- 8. (1) The lessee shall, without creating any permanent encumbrance on the land, have the right to raise crop loan from a Bank, Co-operative Society or any other financial institution as per their relevant laws.
- (2) No charge may be created over the land for the loans sanctioned under this Act.

Right to lessee for relief in case of natural calamity.

9. In case of damage to the standing crop due to natural calamity or otherwise and where compensation or relief for such damage is provided weather under a crop insurance or any other scheme of the Central or State Government, the lessee shall have the right to receive compensation or relief for such damage during the period of lease.

Dispute resolution. 10.

- 10. (1) Any aggrieved person, related to the lease agreement, may file, before the Assistant Collector 1st Grade, an application detailing the disputed issues.
- (2) On receipt of the application under sub-section (1), the Assistant Collector 1st Grade, shall cause a notice to be issued, either in writing or by such designated electronic means, as may be prescribed, to the other party at the address or mobile number, as the case may be specified in the lease agreement.
- (3) The application shall be decided by the Assistant Collector 1st Grade within a period of forty-five days from the date of filing the application under sub-section (1).
- (4) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act or in any other State law for the time being in force, no interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) shall be made on, or in any proceedings relating to, an application under sub-section (1) unless-

- copies of such application and of all documents in support of the plea for such interim order are furnished to the party against whom such application is made or proposed to be made; and
- opportunity is given to such party to be heard in the matter:

Provided that the Assistant Collector 1st Grade may dispense with the requirements of clauses (a) and (b) and make an interim order as an exceptional measure if he is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that it is necessary so to do for preventing any loss being caused to the applicant which cannot be adequately compensated in money but any such interim order shall, if it is not sooner vacated, cease to have effect on the expiry of a period of fourteen days from the date on which it is made.

- (5) For the purposes of deciding the application, the Assistant Collector 1st Grade, shall exercise the powers of a Revenue-officer under the provisions of Haryana Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887).
- (1) An appeal shall lie from an order passed by the Assistant Collector 1st Grade under sub-section (3) of section 10 to the Collector having jurisdiction.

- (2) The appeal under sub-section (1) shall be filed within thirty days from the date of the order under sub-section (3) of section 10.
- (3) Where in any matter, the Collector is of the opinion that the Assistant Collector 1st Grade has not disposed of the case within forty-five days without any reasonable cause, he may, on an application made to him by either party or otherwise, summon the records of the case and decide the matter.
- (4) The Collector shall decide the appeal under sub-section (1) or the matter under sub-section (3) within a period of thirty days from the date of filing of appeal or application or receipt of records of the matter, where the records have been summoned suo motu by him.
 - (5) The order of the Collector in appeal shall be final.
- (6) In the event of any damage caused by the lessee to the land during the period of lease, the lessor shall be entitled to such compensation, as may be determined by the Assistant Collector 2nd Grade in accordance with the procedures, as may be prescribed:

Provided that in case there arises a dispute about the person entitled to receive compensation, the lessee shall deposit it with the Assistant Collector 2nd Grade, having jurisdiction in such manner, as may be prescribed.

The lease agreement registered under sub-section (4) of section 3 of this Act Conditions for may be terminated by either party to such lease agreement, on the following grounds, namely:-

termination of

if the lessee fails to pay the lease amount to the lessor as per the agreed terms and at the agreed time beyond the grace period as contained in the lease agreement;

- (b) if the lessee uses the land for purposes other than agriculture or cultivation of crops or for matters connected with or related thereto;
- (c) if the lessee creates any encumbrance over the leased land other than that permitted under this Act or without the prior written consent of the lessor:
- (d) if the lessee fails to repay any crop loan obtained by him or discharge any liability created over the leased land during the period of lease;
- (e) if the lessee has sublet, in any manner, in whole or in part, or transferred possession of the leased land to any person except the lessor;
- (f) the failure on the part of the lessor to make disclosure, if any, under the provisions of this Act, shall entitle the lessee to terminate the lease and claim compensation from the lessor;
- (g) if the lessee, without the prior consent of the lessor, substantially impairs or damages the leased land for purposes of agriculture;
- (h) if the lessee attempts to make land improvement in the leased land without the prior written consent of the lessor;
- (i) if the lessor and lessee mutually agree to terminate the lease agreement;
- (j) if the lessee dies during the period of lease and the legal heir or successor of the lessee exercises the option to terminate the lease agreement under the provisions of sub-section (5) of section 4 of this Act;
- (k) if either the lessor or the lessee is in substantial or material breach of the terms and conditions of the lease agreement.

Procedure for termination of lease agreement. 13. (1) Either the lessor or lessee, as the case may be, for the reasons specified in section 12 of this Act, issue notice for termination, in such form and manner, as may be prescribed, to the other party:

Provided that the notice so served shall provide at least fifteen days for the other party to respond to the notice and no action shall be taken by the party serving notice during this period.

- (2) In case, the party on whom the notice is served under sub-section (1) disputes the grounds contained in the notice, then such party may reply within the period of fifteen days with reasons stated therein, to the party serving notice.
- (3) If the dispute remains after consideration of the reply, then the party serving notice may invoke the provisions of section 10 of this Act for settlement of the dispute.
- (4) Notwithstanding the existence of the dispute between the lessor and the lessee, the lessee shall deliver possession of the leased land to the lessor on the completion of the lease period.

On expiry of period of the lease agreement or its termination, if the lessee does not vacate and deliver the possession of the land under the leased agreement, then on an application by the lessor, the Assistant Collector 1st Grade shall issue a show cause notice to the lessee, requiring him to deliver the possession of such land to the lessor within fifteen days failing which the Assistant Collector 1st Grade shall employ reasonable force as he deems fit to secure actual possession and reinstate possession of the lessor over such land.

Reinstatement of

(1) The Assistant Collector 1st Grade and Collector shall have exclusive Exclusive jurisdiction to decide any dispute between the lessee and lessor with reference to the leased land and in accordance with the terms and conditions of the lease agreement and the provisions of this Act.

jurisdiction of Revenue Officers.

- (2) No civil court shall exercise jurisdiction over any matter in relation to or concerning the lease agreement made under the provisions of this Act.
- No suit, prosecution or legal proceeding shall lie before any Court or Authority against any public servant for anything done or intended to be done in good faith in performance of duty in pursuance to this Act or the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith under this Act.

(1) The Government may make rules for the purpose of carrying out the purposes of this Act.

Power to make

- (2) All rules made under this Act shall be placed before the State Legislature.
- Notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Overriding effect State law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of to the Act. such law, the provision of this Act shall have overriding effect:

Provided that any rights accrued prior, actions already taken or cases pending under any other State law in force shall be governed by the provisions of such law.

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, Power to remove 19. within a period of two years from the date of commencement of this Act, the Government may, by order, notified in the Official Gazette, make such provisions or give such directions as may appear to it to be necessary for the removal of such difficulty.

difficulties.

(2) A copy of the order passed under sub-section (1) shall, as soon as may notified, be laid before the State Legislature in its next ensuing session.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A Bill to provide a mechanism and formal recognition to the leasing of agricultural land, to permit and facilitate leasing of agricultural land, to ensure equity and thereby improve agricultural efficiency- to provide recognition to farmers cultivating agricultural land on lease, which would enable them to access loans through credit institutions, insurance, disaster relief and myriad support services provided by the Government, while protecting the ownership rights of landowners-and for matters connected therewith and incidental thereto.

- 2. It is a established practice that agricultural land is leased out by the landowner. Due to the apprehension that the Lessee may demand occupancy rights, the Lessor often replaces the Lessee every year or keep the land barren, which damages agricultural production.
- 3. Due to the above mentioned fact, the Lessor hesitates to give his/her land on lease in writing and prefers to enter into non-written agreement with the Lessee. As a result of this, the Lessee is deprived of receiving any relief from the Central/State Government during natural calamities and is unable to raise a crop loan.
- 4. For making optimum use of land resources and to protect the interest of both the Lessor and Lessee, a legal arrangement of giving land on lease money is felt necessary.
- 5. Hence this Bill.

VIPUL GOEL, Revenue Minister, Haryana.


Chandigarh: The 13th November, 2024.

DR. SATISH KUMAR, Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 13th November, 2024, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Section 17 of the proposed Bill empowers the State Government to make Rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of a normal character. Hence, the memorandum regarding delegated Legislation as required under Rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.



हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या-23 एच०एल०ए०

हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024 कृषि भूमि को पट्टे पर देने को मान्यता देने हेतु मैकेनिज्म के लिए, कृषि भूमि को पट्टे पर देने की अनुज्ञा तथा सुकर बनाने हेतु, भूस्वामियों के अधिकारों को संरक्षित करने हेतु और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेत् विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

यह अधिनियम हरियाणा कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ

तथा लागूकरण।

- यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
- यह हरियाणा राज्य में जोत के अधीन सभी कृषि भूमियों को लागू होगाः परन्तु अधिनियम के उपबन्ध, निम्नलिखित भूमियों को लागू नहीं होंगे, अर्थात्-
 - केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) के अधीन कोई नगर निगम या हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) के अधीन कोई नगरपालिका निकाय, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) के अधीन कोई ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् के स्वामित्वाधीन भूमि;
 - केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रबन्धनाधीन तथा नियंत्रणाधीन किसी वैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, कम्पनी, सोसाइटी या न्यास के स्वामित्वाधीन, प्रबन्धित या नियंत्रणाधीन भूमि;
 - (iii) शामलात देह, शामलात टिक्कास, शामलात तरफ, पट्टी, पाना तथा ठोला के रूप में भू-राजस्व अभिलेख में अभिलिखित भूमि या सम्बन्धित परिनियम के अधीन शामलात देह की परिधि में आने वाली कोई अन्य भूमि;
 - 'जुमला मालकान वा दिगर हकदारान अराजी हसब रसद रकबा' के रूप में या समान नाम से भू-राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित भूमि,जो हरियाणा जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम,1948, (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 50) के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु आरक्षित है।

परिभाषाएं।

- (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "कृषि" में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं, जो कृषि के साथ—साथ किए जाते हैं या से संबंधित हैं जैसे पशुधन के पालन—पोषण हेतु संरचना का निर्माण, कृषि उत्पाद उपकरणों के भण्डारण, उर्वरक, बीज तथा इसमें खाद्य तथा गैर खाद्य फसलें, चारा या घास, फल तथा सिक्जियां, फूल, कोई अन्य बागवानी फसलें तथा पौधा रोपण, पशुपालन तथा डेयरी, मुर्गीपालन, पशु प्रजनन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी, कृषि प्रसंस्करण सिहत कृषि उत्पाद, जिसका पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार निष्पादित किए गए करार में करने का विनिश्चय करें तथा ऐसे अन्य सहबद्ध क्रियाकलाप, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं;
 - (ख) 'सरकार' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
 - (ग) 'सुधार' से अभिप्राय है, पूंजीगत आस्तियों के माध्यम से भूमि का सुधार तथा इसमें पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार की आपसी सहमति से पट्टा करार में यथा वर्णित किए जाने वाले कार्य भी शामिल हैं;
 - (घ) "भूमि" से अभिप्राय है, भूमि जो कृषि के लिए उपयोग की जाती है, किन्तु इसमें ऐसी भूमि पर भवनों के स्थल तथा अन्य संरचनाएं, सिवाय जहां ये कृषि के लिए उपयोग की जाती हैं, शामिल नहीं हैं;
 - (ड.) "पट्टा करार" से अभिप्राय है, पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार के बीच लिखित रूप में किया गया कोई करार, जिससे पट्टाकर्ता इस अधिनियम के अधीन पट्टा धनराशि के रूप में मुआवजा हेतु किसी विनिर्दिष्ट अविध के लिए कृषि हेतु अपनी भूमि का उपयोग तथा अधिभोग पट्टेदार को हस्तांतरित करता है;
 - (च) "पट्टा धनराशि" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन पट्टा करार के अनुसार, पट्टाकर्ता को दी गई धनराशि या फसल का हिस्सा;
 - (छ) "पट्टेदार" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन निष्पादित पट्टा करार के अनुसार धनराशि देते हुए कृषि तथा सहबद्ध क्रियाकलाप करने वाला कोई व्यक्ति;
 - (ज) ''पट्टाकर्ता'' से अभिप्राय है, भूमि का स्वामी तथा इसमें उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि भी शामिल है;
 - (झ) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित।
- (2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो हरियाणा भू—राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17) में उन्हें दिया गया है।

- 3. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृषि भूमि को कृषि भूमि को पट्टे पट्टे पट्टे पर देने का आशय रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के निबन्धनों के अनुरूप पर देना। पट्टा करार करेगा;
- (2) कृषि भूमि को पट्टे पर देने का आशय रखने वाला भू—स्वामी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ऐसी अवधि तथा ऐसे निबंधन तथा शर्तें, जो आपसी सहमति द्वारा करार पाई जाएं, के लिए लिखित पट्टा करार करेगा।
 - (3) पट्टा करार में निम्नलिखित ब्यौरे, निबन्धन तथा शर्तें शामिल होंगी, अर्थात् :--
 - (क) पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार का सम्पूर्ण पता / पत्र व्यवहार ब्यौरों सहित उनके नाम;
 - (ख) राजस्व अभिलेखों तथा इनकी सही अवस्थिति के अनुसार पट्टे पर दिए जाने वाले प्रस्तावित खेत की संख्या सहित कृषि भूमि के संदर्भ ब्यौरे;
 - (ग) कृषि फसल चक्र के अनुकूल पट्टे के प्रारम्भ तथा समाप्ति की तिथियों सहित पट्टा करार की अवधि;
 - (घ) पट्टा करार की अवधि के लिए प्रति वर्ष आधार पर पट्टा राशि तथा तिथियां जिनको पट्टा राशि पट्टाकर्ता को पट्टेदार द्वारा भुगतानयोग्य होगी:
 - (ड.) बहु भू—स्वामियों की दशा में, भू—स्वामी या भू—स्वामियों जिनको पट्टा राशि का भुगतान किया जाएगा
 - (च) पट्टा करार का नवीनीकरण या विस्तार, यदि कोई हो, के लिए निबंधन तथा शर्तें;
 - (छ) शर्तें, जो पट्टा अवधि की सामान्य समाप्ति से पूर्व पट्टा करार कें समयपूर्व समाप्ति के लिए पूरी की जानी है, सिहत शर्तें, जो पट्टा करार के तात्विक भंग होने का कारण बनेंगी तथा उनके परिणाम;
 - (ज) सिंचाई तथा मृदा गुणवत्ता की वृद्धि सहित कृषि उत्पादकता तथा संधारण हेतु भूमि सुधार के लिए निवेश में पट्टाकर्ता की बाध्यताएं;
 - (झ) कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के स्वरूप या इसके उपयोग में कोई त्रुटि, कोई लम्बित वाद या पट्टाकर्ता की ओर से कोई चूक, जिससे वह अभिज्ञ है तथा जो पट्टा भूमि पर पट्टेदार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिकारों के उपयोग को प्रभावित करता है या करने की संभावना है;
 - (ञ) इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत तथा प्रज्ञापूर्ण कृषि परिपाटी की अन्य आपसी सहमति शर्त;
 - (ट) पट्टेदार को पट्टा करार के निबन्धनों तथा शर्तों में यथा विनिर्दिष्ट, पट्टाकर्ता को ऐसे नोटिस, जैसी आपसी सहमति हो, पट्टा भूमि के अभ्यर्पण का अधिकार होगा।

- (4) पट्टा करार, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या (16) के उपबन्धों के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा तथा ऐसी तिथि, जिस पर सहमत हों, को या ऐसी तिथि के बाद, जिसको करार पंजीकृत किया गया है, से लागू होगा।
- (5) पट्टा करार के लागू होने से, पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार इस अधिनियम के अधीन संरक्षणों, अधिकारों तथा बाध्यताओं के लिए हकदार होंगे।

पट्टा भूमि का कब्जा। 4. (1) पट्टाकर्ता को धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन किए गए पट्टा करार के प्रारम्भ से तुरन्त जुताई के प्रयोजनों के लिए इस उपधारा के उपबंधों के निबंधनों के सिवाय ऋणभारों से मुक्त पट्टा भूमि का कब्जा देने हेतु बाध्य किया जाएगाः

परन्तु जहां पट्टा करार के प्रारम्भ से पूर्व पट्टा भूमि के सम्बन्ध में कोई ऋणभार है, तथा पट्टाकर्ता उस पर सृजित दायित्व या ब्याज के निर्वहन या लिए गए किसी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान को स्वीकार करता है, तो पट्टेदार को पट्टाकर्ता के विरुद्ध खड़े ऐसे ऋणभारों सहित कब्जा दिया जाएगा।

- (2) पट्टा करार तथा उस पट्टे की अवधि, अधिकारों के अभिलेख के टिप्पणी खाने में दर्ज की जाएगी किन्तु ऐसी प्रविष्टि तत्समय लागू किसी राज्य विधि के अधीन कोई स्थायी अभिधृति या अधिभोग अभिधृति अधिकारों या अन्यथा का सृजन नहीं करेगी।
- (3) पट्टा भूमि का कब्जा, तुरन्त तथा पट्टाकर्ता की ओर से अपेक्षित किसी आगामी कार्रवाई के बिना, पट्टे की समाप्ति या पर्यवसान पर भू—स्वामी को प्रतिवर्तित हो जाएगा।
- (4) पट्टाकर्ता, पट्टा करार की समाप्ति पर या इसके समय पूर्व पर्यवसान होने पर और पट्टाकर्ता की ओर से अपेक्षित किसी आगामी कार्रवाई के बिना सभी ऋणभारों से मुक्त पट्टा भूमि का कब्जा प्राप्त करने का हकदार होगाः

परन्तु पट्टा करार के समय पूर्व पर्यवसान की दशा में, पट्टेदार, कृषि फसल चक्र के अनुसार पट्टा भूमि पर बोई गई खड़ी फसल की कटाई करने का हकदार होगा तथा फसल की कटाई तक पट्टा करार के पर्यवसान की तिथि के बाद अधिभोग की ऐसी अवधि के लिए पट्टा राशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

- (5) पट्टेदार की मृत्यु की दशा में, पट्टेदार के विधिक वारिस या उत्तराधिकारी, पट्टेदार के रूप में समझे जाएंगे तथा ऐसे विधिक वारिस या उत्तराधिकारियों को पट्टा करार को समय—पूर्व पर्यवसान करने या पट्टे की शेष अविध के लिए ऐसे विधिक वारिस या उत्तराधिकारी को समनुदेशित पट्टा करार को लागू करने का विकल्प होगा।
- (6) पट्टे पर दी गई भूमि के सह—स्वामियों के बीच विभाजन सहित किसी रीति में विक्रय, रेहन, रेहन मोचन, उत्तराधिकार, उपहार या हस्तान्तरण या अन्तरण की दशा में, पट्टा करार की अवधि की समाप्ति तक पट्टे पर दी गई भूमि पर पट्टेदार का कब्जा बना रहेगा और आगे,—
 - (i) पट्टेदार, जिसके पक्ष में भूमि का स्वामित्व या हित अंतरित किया गया है, को अधिकार—धारक के पट्टेदार के रूप में समझा जाएगा; तथा

- पट्टा करार, ऐसे अधिकार धारक के पक्ष में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित समनुदेशित हो जाएगा।
- (7) राजस्व अभिलेखों में जुताई कब्जे में सम्पूर्ण खसरा संख्या का पट्टा या तो सभी सह–हिस्सेदारों के साथ–साथ या एकल स्वामी, जैसी भी स्थिति हो, को अनुज्ञेय होगा।
- (1) पट्टेदार, पट्टा करार के निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार तथा इस अधिनियम पट्टेदार के अधिकार के उपबंधों के सिवाय पट्टाकर्ता की ओर से किसी बाधा या हस्तक्षेप के बिना पट्टा करार की अवधि के दौरान पट्टे पर दी गई भूमि की जुताई करने का हकदार होगा।

तथा बाध्यताएं।

- (2) पट्टेदार, बैंकिंग विधि के उपबंधों के अनुसार पट्टे की अवधि के दौरान कृषि फसल चक्र के भीतर पुनर्भुगतानयोग्य कोई फसल ऋण प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (3) उपधारा (2) के अधीन किसी फसल ऋण से भिन्न कोई भी ऋणभार पट्टेदार द्वारा पट्टाकर्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना सृजित नहीं किया जाएगा।
- (4) पट्टेदार इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन भूमि सुधार के लिए किसी दायित्व या लिए गए ऋण को छोड़कर, पट्टा करार की अवधि के दौरान पट्टे पर दी गई भूमि पर लिए गए किसी फसल ऋण या ब्याज के पुनर्भुगतान या किसी अन्य दायित्व के लिए उत्तरदायी होगा।
- (5) पट्टेदार, पट्टा अवधि के दौरान, पट्टाकर्ता के सिवाय किसी भी व्यक्ति को किसी भी रीति में पट्टा भूमि को या पूर्णतः या भागतः किराए पर नहीं देगा, कब्जे का अंतरण नहीं करेगाः

परन्तु भूमि की जुताई के लिए श्रमिकों का नियोजन का अर्थ, पट्टा भूमि को किराये पर देने या कब्जे के अंतरण के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

- (6) पट्टेदार, पट्टा करार के निबन्धनों के अनुसार कृषि या फसलों की जुताई से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए या उससे संयोजित या संबंधित मामलों के लिए भूमि का उपयोग नहीं करेगा।
- (1) पट्टाकर्ता इस अधिनियम में या पट्टा करार में उपबंधित की जाए के सिवाय पट्टाकर्ता के अधिकार पट्टा करार के निबन्धनों के अनुसार पट्टा अवधि के दौरान कृषि के प्रयोजनों के लिए पट्टे तथा बाध्यताएं। पर दी गई भूमि के उपयोग तथा अधिभोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

- (2) पट्टा करार की किसी बात का पट्टे की समाप्ति के दौरान या के बाद स्थायी अभिधृति या अधिभोगी अभिधृति के लिए पट्टाकर्ता के स्वामित्व अधिकारों को प्रभावित करने या जहां तक ऐसे जुताई अधिकार, जो पट्टे के दौरान पट्टा करार में दिया जाए, के उपयोग के सिवाय पट्टेदार के पक्ष में किसी अधिकार को सृजित करने का अर्थ नहीं लगाया जाएगा।
- (3) पट्टाकर्ता, पट्टेदार द्वारा दी गई पट्टा राशि, पट्टाकर्ता द्वारा इसकी प्राप्ति पर, के भुगतान के लिए लिखित तथा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित रसीद उपलब्ध करवाएगा।

पट्टे पर दी गई भूमि पर सुधारों के संबंध में अधिकार बाध्यताएं।

- 7. (1) पट्टेदार, पट्टे की अवधि के दौरान पट्टाकर्ता की पूर्व सहमित से सिंचाई तथा मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयोजनों सिहत कृषि उत्पादकता तथा संधारणीय सुधार के लिए भूमि में सुधार कर सकता है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन पट्टाकर्ता की सहमति के प्रयोजनों के लिए, पट्टेदार भूमि में सुधार करने के लिए ब्यौरे तथा अपने आशय की घोषणा करते हुए और सुधारों की तथा युक्तियुक्त अनुमानित लागत देते हुए पट्टाकर्ता को कम से कम तीस दिन का नोटिस तामिल करेगा।
- (3) पट्टाकर्ता को अपनी लागत पर भूमि में सुधार करने या पट्टेदार को ऐसे सुधारों के लिए निधि देने या पट्टेदार द्वारा दी गई निधियों से सुधार करने के लिए पट्टेदार की अनुमित लेने का विकल्प होगा और ऐसा विकल्प उपधारा (2) के अधीन पट्टाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर में दर्शित किया जाएगाः

परन्तु जहां पट्टेदार उस द्वारा दी गई निधियों से सुंधार करवाता है, तो पट्टेदार, पट्टाकर्ता को भुगतानयोग्य पट्टा राशि से पट्टेदार द्वारा करवाए गए ऐसे सुधार कार्य के लिए उपगत लागत की कटौती करने के लिए हकदार होगा।

- (4) उपधारा (3) के अधीन प्रयोज्य विकल्पों के अधीन, पट्टाकर्ता, तीस दिन की अविध के भीतर, भूमि सुधार, जो उपधारा (2) के अधीन नोटिस में दिया गया है, करने के लिए अपनी सहमति लिखित में देगा या इनकार करेगा।
- 8. (1) पट्टेदार को भूमि पर कोई स्थायी ऋणभार सृजित किए बिना किसी बैंक, सहकारी सोसाइटी या किसी अन्य वित्तीय संस्था से उनके सुसंगत विधि के अनुसार फसल ऋण लेने का अधिकार होगा।
- (2) इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत ऋण के लिए भूमि पर कोई प्रभार सृजित नहीं किया जा सकेगा।

प्राकृतिक आपदा की दशा में राहत के लिए पट्टेदार का अधिकार।

पट्टे पर दी गई भूमि पर जुताई के

लिए फसल ऋण

लेने हेतु पट्टेदार

का अधिकार।

9. प्राकृतिक आपदा या अन्यथा के कारण खड़ी फसल की क्षति की दशा में और जहां ऐसी क्षति के लिए प्रतिकर या राहत चाहे किसी फसल बीमा या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य स्कीम के अधीन दी गई है, तो पट्टेदार ऐसी क्षति के लिए पट्टे की अवधि के दौरान ऐसा राहत प्रतिकर या राहत प्राप्त करने के लिए हकदार होगा।

विवाद संकल्प।

- 10. (1) पट्टा करार से संबंधित कोई व्यथित व्यक्ति, सहायक, कलक्टर प्रथम ग्रेड के सम्मुख विवादित मामलों के ब्यौरे देते हुए आवेदन दायर कर सकता है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, सहायक कलक्टर प्रथम ग्रेड, या तो लिखित में अथवा ऐसे विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रोनिक साधन, जो विहित किया जाएं, द्वारा दूसरे पक्षकार को पट्टा करार में विनिर्दिष्ट पता अथवा मोबाईल नम्बर, जैसी भी स्थिति हो, पर नोटिस जारी करवाएगा।
- (3) आवेदन, उपधारा (1) के अधीन आवेदन दायर करने की तिथि से पैंतालीस दिन की अविध के भीतर सहायक कलक्टर प्रथम ग्रेड द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

- (4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन पर या से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में कोई भी अंतरिम आदेश (चाहे व्यादेश या रोक के रूप में या किसी अन्य रीति में) तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक
 - (क) ऐसे आवेदन और ऐसे अन्तिरम आदेश के लिए अभिवचन के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतियां पक्षकार, जिसके विरूद्ध ऐसा आवेदन किया गया है या किए जाने के लिए प्रस्तावित है, को प्रस्तुत नहीं की गई हैं; तथा
 - (ख) ऐसे पक्षकार को रीति में सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है:

परन्तु सहायक कलक्टर प्रथम ग्रेड, खण्ड (क) और (ख) की अपेक्षाओं से विमुक्त कर सकता है और किसी आपवादिक उपाय के रूप में कोई अन्तरिम आदेश कर सकता है, यदि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसकी संतुष्टि हो जाती है कि आवेदक को होने वाली किसी हानि को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, जिसकी धनराशि से पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती किन्तु कोई ऐसा अन्तरिम आदेश है, तो उस तिथि, जिसको यह किया गया है, से चौदह दिन की अवधि की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगा, यदि इसे जल्दी ही रह नहीं किया जाता।

- (5) आवेदन पर विनिश्चय करने के प्रयोजन हेतु, सहायक कलक्टर प्रथम ग्रेड, हरियाणा भू—राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17) के उपबंधों के अधीन राजस्व अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- 11. (1) धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन सहायक कलक्टर प्रथम ग्रेड द्वारा पारित अपील। किसी आदेश की अपील अधिकारिता रखने वाले कलक्टर को हो सकेगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन अपील, धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन आदेश की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर दायर की जाएगी।
- (3) जहां किसी मामले में, कलक्टर की राय है कि सहायक कलक्टर प्रथम ग्रेड ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना पैंतालीस दिन के भीतर वाद का निपटान नहीं किया है, तो वह या तो पक्षकार या अन्यथा से उसको किए गए आवेदन पर केस का रिकार्ड तलब कर सकता है और मामले का विनिश्चय कर सकता है।
- (4) कलक्टर, उपधारा (1) के अधीन अपील अथवा उपधारा (3) के अधीन मामले का विनिश्चय, अपील या आवेदन दायर करने या मामले के रिकार्ड, जहां उस द्वारा स्वप्ररेणा से रिकार्ड तलब किए गए हैं, के प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन की अविध के भीतर विनिश्चय करेगा।
 - (5) अपील में कलक्टर का आदेश अन्तिम होगा।
- (6) पट्टे की अवधि के दौरान पट्टेदार द्वारा भूमि को पहुंचाई गई किसी क्षति की दशा में, पट्टाकर्ता ऐसे मुआवजा का हकदार होगा, जो यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार सहायक कलक्टर द्वितीय ग्रेड द्वारा अवधारित किया जाए:

परन्तु यदि मुआवजा प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पट्टेदार इसे ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अधिकारिता रखने वाले सहायक कलक्टर द्वितीय ग्रेड पास जमा करवाएगा।

पट्टे की पर्यवसान के लिए शर्तें।

- 12. इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन पंजीकृत पट्टा करार, दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा निम्नलिखित आधारों पर ऐसे करार का पर्यवसान किया जा सकता है:—
 - (क) यदि पट्टेदार, पट्टा करार में दी गई अनुग्रह अवधि के बाद सहमत निबन्धनों के अनुसार और सहमत समय पर पट्टाकर्ता को पट्टा राशि का भुगतान करने में असफल रहता है;
 - (ख) यदि पट्टेदार, कृषि या फसलों की जुताई या इससे संयोजित या उससे सम्बन्धित से भिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग करता है;
 - (ग) यदि पट्टेदार, इस अधिनियम के अधीन अनुमत से अन्यथा या पट्टाकर्ता की पूर्व लिखित सहमित के बिना पट्टे पर ली गई भूमि पर कोई ऋणभार सृजित करता है;
 - (घ) यदि पट्टेदार उसके द्वारा प्राप्त किए गए किसी फसल ऋण का पुनर्भुगतान करने में या पट्टे की अवधि के दौरान पट्टा भूमि पर सृजित किसी दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहता है;
 - (ङ) यदि पट्टेदार ने पट्टाकर्ता को छोड़कर किसी व्यक्ति को किसी रीति में पूर्णतः या भागतः पट्टा भूमि किराए पर दी है या का कब्जा अन्तरित किया है;
 - (च) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पट्टाकर्ता की ओर से प्रकटीकरण, यदि कोई हो, करने की असफलता, पट्टेदार को पट्टे के पर्यवसान तथा पट्टाकर्ता से मुआवजा के दावे के लिए हकदार बनाएगी;
 - (छ) यदि पट्टेदार, पट्टाकर्ता की पूर्व सहमति के बिना कृषि के प्रयोजनों के लिए पट्टे पर ली गई भूमि को सारभूत रूप से विकृत या क्षति पहुंचाता है ;
 - (ज) यदि पट्टेदार, पट्टाकर्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना पट्टा भूमि में सुधार करने का प्रयत्न करता है;
 - (झ) यदि पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार, पट्टा करार के पर्यवसान के लिए परस्पर सहमत है;
 - (ञ) यदि पट्टेदार की पट्टा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है और पट्टेदार का विधिक वारिस या उत्तराधिकारी इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन पट्टा करार के पर्यवसान के लिए विकल्प का प्रयोग करता है:
 - (ट) यदि या तो पट्टाकर्ता या पट्टेदार, पट्टा करार की निबन्धनों तथा शर्तों को सारवान या तात्विक रूप से भंग करता है।

13. (1) दोनों में से पट्टाकर्ता या पट्टेदार, जैसी भी स्थिति हो, इस अधिनियम की पट्टा करार के धारा 12 में विनिर्दिष्ट कारणों हेतु, पर्यवसान के लिए नोटिस, ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विहित की जाए, में दूसरे पक्षकार को देगाः

पर्यवसान के लिए

परन्तु इस प्रकार तामिल नोटिस, नोटिस का उत्तर देने हेतु दूसरे पक्षकार को कम से कम पन्द्रह दिन दिए जाएंगे और इस अवधि के दौरान नोटिस की तामिल करने वाले पक्षकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

- (2) यदि पक्षकार, जिसको उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामिल किया गया है, को नोटिस में दिए गए आधारों के बारे में कोई विवाद है, तो ऐसा पक्षकार, नोटिस तामिल करने वाले पक्षकार को पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर कथित कारणों सहित उत्तर दे सकता है।
- (3) यदि जवाब पर विचार करने के बाद भी विवाद बना रहता है, तो नोटिस तामिल करने वाला पक्षकार विवाद के निपटान के लिए इस अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धों का आह्वानं कर सकता है।
- (4) पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार के बीच किसी बात के होते हुए भी विवाद बना रहता है, तो पट्टेदार पट्टा अवधि की समाप्ति पर पट्टाकर्ता को पट्टा भूमि का कब्जा देगा।
- पट्टा करार की अवधि की समाप्ति या इसके पर्यवसान पर, यदि पट्टेदार, पट्टा पट्टाकर्ता का पुनः करार के अधीन भूमि का कब्जा नहीं छोड़ता है अथवा नहीं देता है, तो पट्टाकर्ता के आवेदन पर, सहायक कलक्टर प्रथम ग्रेड, पट्टेदार से पन्द्रह दिन के भीतर पट्टाकर्ता को ऐसी भूमि का कब्जा देने की अपेक्षा करते हुए उसको कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जिसमें असफल होने पर सहायक कलक्टर प्रथम ग्रेड उचित बल नियोजित करेगा, जो वह वास्तविक कब्जे को सुनिश्चित करने और ऐसी भूमि पर पट्टाकर्ता का कब्जा पुनः स्थापित करने के लिए ठीक समझे।

(1) सहायक कलक्टर प्रथम ग्रेड और कलक्टर को पट्टा भूमि के संदर्भ में और राजस्व अधिकारियों पट्टा के निबन्धनों और शर्तों तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पट्टेदार और पटुटांकर्ता के बीच किसी विवाद को विनिश्चत करने के लिए एकमात्र अधिकारिता होगी।

की एकमात्र अधिकारिता।

- (2) कोई भी सिविल न्यायालय इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किए गए पट्टा करार के सम्बन्ध में या से संयोजित किसी भी मामले में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा।
- इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए नियमों के अनुसरण में कर्तव्य को करने में सदभावपूर्वक की गई सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी न्यायालय या प्राधिकरण के सम्मुख कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

कार्रवाई का संरक्षण।

17. (1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना नियम बनाने की सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियमों को राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। 18. तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात से असंगत या ऐसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी लिखत के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध का अध्यारोही प्रभाव होगाः

परन्तु पहले ही प्रोदभूत कोई अधिकार, पहले से की गई कार्रवाई या लागू किसी अन्य राज्य विधि के अधीन लम्बित मामले, ऐसी विधि के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

- 19. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर, सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है या ऐसे निर्देश दे सकती है, जो इसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
- (2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्रति, इसके अधिसूचित होने के यथा शीघ, राज्य विधानमंडल के सम्मुख इसके आगामी आने वाले सत्र में रखी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

कृषि भूमि को पट्टे पर देने के लिए प्रक्रिया तथा औपचारिक मान्यता देने, कृषि भूमि को पट्टे पर देने की अनुज्ञा देने तथा सुकर बनाने हेतु, निष्पक्षता सुनिश्चित करने तथा उसके द्वारा कृषि दक्षता को सुधारने हेतु, पट्टे पर कृषि भूमि की जुताई करने वाले किसानों को मान्यता देने, जो क्रेडिट संस्थाओं, बीमा, आपदा राहत तथा भू—स्वामियों के स्वामित्व अधिकारों को संरक्षित करते समय सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से ऋण पहुंच हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए तथा उससे संबंधित तथा उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक।

- 2. यह एक प्रमाणित प्रथा है कि कृषि भूमि, भू—स्वामी द्वारा पट्टे पर दी जाती है। इस आंशका के कारण कि पट्टेदार कब्जा अधिकारों की मांग कर सकता है, पट्टाकर्ता अक्सर सामान्यताः प्रति वर्ष पट्टेदार बदल देता है या उसे बंजर रख देता है, जिससे कृषि उत्पादन को हानि होती है।
- 3. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के कारण, पट्टाकर्ता अपनी भूमि को लिखित रूप में पट्टे पर देने में संकोच करता है और पट्टेदार के साथ अलिखित समझौते को प्राथमिकता देता है। इसके परिणामस्वरूप, पट्टेदार प्राकृतिक आपदा के समय केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मिलने वाली किसी राहत राशि को पाने से वंचित कर दिया जाता है तथा फसल ऋण लेने में अक्षम है।
- 4. भूमि संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने तथा पट्टाकर्ता व पट्टेदार दोनो के हितों की रक्षा करने हेतु, पट्टा—राशि पर भूमि देने की कानूनी व्यवस्था आवश्यक प्रतीत होती है।
- इसलिए यह विधेयक प्रस्तुत है।

विपुल गोयल, राजस्व मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:

दिनांक 13 नवम्बर, 2024

डॉ॰ सतीश कुमार,

सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हिरयाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 13 नवम्बर, 2024 के हिरयाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक की धारा—17 अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करती है। कार्यकारी को शक्तियों का प्रत्यायोजन साधरण स्वरूप का है। इसलिए यह ज्ञापन हरियाणा विधान सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन यथा अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन है।

11414-H.V.S.-H.G.P., Pkl.